

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील नामान्तकरण 278/14

तारीख रजू— 10/01/17

मु0 गुलाब पुत्री सुखचंद उम्र 52 वर्ष पत्नि गोपी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम रतनपुरा तहसिल चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर —अपीलान्ट

बनाम

- 1— मोहनलाल पुत्र सुखचंद उम्र 65 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
- 2— मु0 सुन्दर पुत्री सुखचंद पत्नि मोती उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा , जिला सवाई माधोपुर
- 3— तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर —रेस्पोंडेन्स

निर्णय

दिनांक— 30/03/17

प्रार्थीगण ने यह अपील ग्राम बासड़ा के नामान्तकरण संख्या 313 निर्णय दिनांक 31/05/89 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा सुखचंद पुत्र मोहरपाल गुर्जर की ग्राम बासड़ा में स्थित खातेदारी भूमि सुखचंद के फौत हो जाने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण खोला गया है। अपीलान्ट ने उक्त अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बासड़ा के नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 31/05/89 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोंड मय वकील उपस्थित। अदालत मातहत से मूल नामान्तकरण तलब किया गया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का ग्राम बासड़ा में पीहर है। जहां उसके पिता की पैतृक भूमि स्थित थी। पिता के देहावसान के पश्चात् रेस्पोंड संख्या 1 ने पटवारी से साज करके प्रार्थीया को उसके वाजिब हिस्से से महरूम करने तथा पैतृक सम्पत्ति अकेले ही हड़पने की गरज से राजस्व कर्मियों से साज कर पिता की मृत्यु के बाद रेस्पोंड नम्बर 1 व 2 ने साजकर अकेले स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया। हिन्दु विधि के अनुसार मृतक पिता की सम्पत्ति में पुत्र व पुत्रियों का समान हित लाभ होता है ऐसे में प्रार्थीया के पिता सुखचंद की मृत्यु के पश्चात् उसकी छोड़ी सम्पत्ति में प्रार्थीया का भी बराबर का हिस्सा था तथा मृतक के वारिसान में प्रार्थीया का नाम अंकित कर तदनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी लेकिन रेस्पोंड नं0 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज कर नामान्तकरण के कालम संख्या 16 में अकेले रेस्पोंड नं0 1 का ही नाम अंकित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31/05/89 खारिज फरमाया जावे।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आराजीयात अपीलान्त व रेस्पों0 के पिता की खातेदारी भूमि थी। रेस्पों0 के पिता की फौत हो जाने पर रेस्पों ने अपीलान्त को इस संबंध में सूचित किया गया था। अपीलान्त ने स्वयं ने अपना हक लेने से मना करने पर रेस्पों0 संख्या 1 ने उक्त नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवाया है। उक्त नामान्तकरण वर्ष 89 का है अपीलान्त 25 साल बाद न्यायालय में आई है। अपीलान्त द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31/05/89 यथावत रखा जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व आलोच्य नामान्तकरण का अवलोकन से यह पाया गया कि उस पर मृतक सुखचंद का एक मात्र वारिस मोहनलाल अंकित किया हुआ है। जबकि अपीलान्त का अभिकथन है कि सुखचन्द के एक पुत्र मोहनलाल व दो पुत्री गुलाब व सुन्दर है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची प्रथम के मुताबिक पुत्रियां भी उत्तराधिकारी की श्रेणी में आती है। इस प्रकार आलोच्य नामान्तकरण एक मात्र रेस्पों0 प्रथम के नाम खोलने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है तथा हमारे विन्नम अभिमत में अपील स्वीकार किया जाना विधि सम्भंव है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 31/05/89 ग्राम बासडा निरस्त किया जाता है, साथ ही पत्रावली प्रति प्रेषित की जाकर तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनकर विधिवत् पुनः नामान्तकरण तरदीक करे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
( भगवत सिंह देवल )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर